लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3747
उत्तर देने की तारीख: 16.07.2019

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

3747. श्री प्रवीन कुमार निषाद:
श्री अजय निषाद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कल्याण योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा केंद्रीय निकाय की स्थापना और केंद्रीय निधि द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(च) क्या सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संस्थाओं (एनजीओ/वीओ) को अनुदान प्रदान करती है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे संगठनों को राज्य-वार कितनी निधि जारी की गई है और कितनी निधि का उपयोग किया गया है; और
(छ) क्या इस संबंध में सरकार के संज्ञान में कोई अनियमितता आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनजीओ/वीओ के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और कल्याण योजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) से (घ): इन योजनाओं का लक्ष्य एससी तथा ओबीसी का कल्याण करना है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ): विभाग की परियोजनाओं तथा योजनाओं की विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निगरानी की जाती है जो निम्नानुसार है:-

(i) एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की जाती है।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा सभी संस्थानों का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है।

(iii) अनुदानग्राही संगठनों द्वारा किसी सनदी लेखाकार द्वारा यथा सत्यापित लेखा-परीक्षित लेखों का विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(iv) केंद्रीय मंत्रालय के दलों द्वारा सभी एनजीओ का औचक निरीक्षण किया जाता है।

(v) छात्रवृत्तियों का भुगतान लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में सीधे किया जाता है।

(vi) मंत्रालय में एक संचालन समिति छात्रावासों के निर्माण की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी तथा समीक्षा करती है।

(vii) संस्थानों के शुल्क दावों को विनियमित करने के लिए शुल्क निर्धारण समिति मौजूद है।

(च): बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत 10.09.2018 से पहले परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां गैर-सरकारी संगठनों को जारी की जाती थी। 10.09.2018 से योजना के दिशा-निर्देशों को संशोधित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत संशोधित योजना में एनजीओ केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। 2016-17 और 2017-18 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत एनजीओ को जारी सहायता अनुदान तथा उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17		2017-18	
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
1	असम	-	-	75.81	75.81
2	हरियाणा	244.17	244.17	404.89	404.89
3	हिमाचल प्रदेश	60.00	60.00	-	-
4	महाराष्ट्र	1555.79	-	170.55	-
5	मणिपुर	271.54	-	272.00	-
6	ओडिशा	53.73	53.73	133.73	133.73
7	पंजाब	90.90	-	-	-
8	राजस्थान	-	-	126.46	126.46
9	त्रिपुरा	57.50	57.50	157.50	157.50
कुल		2333.63	415.4	1340.94	898.39

(छ): उक्त अवधि के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की निधियों के दुरुपयोग के बारे में किसी अनियमितता की कोई सूचना नहीं मिली है।

दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3747 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क. अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं

1. कक्षा IX और X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना।

इस योजना का उद्देश्य कक्षा IX और X में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के माता-पिता को सहायता प्रदान करना है जिससे विशेषतः प्रारंभिक से माध्यमिक स्तर के दौरान स्कूल छोड़ने की घटनाएं न्यूनतम हो सकें, तथा मैट्रिक-पूर्व स्तर के कक्षा IX और X में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की भागीदारी में सुधार करना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सके तथा उन्हें शिक्षा के मैट्रिकोत्तर स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम की आय वाले परिवारों के अनुसूचित जाति के बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

2. सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य समूहों के बच्चों को, भले ही उनकी जाति अथवा पारिवारिक आय कुछ भी हो, मैट्रिकपूर्व शिक्षा (कक्षा I से X) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

क) वे व्यक्ति जो मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम, 2013 की धारा 2 (झ) (9) के अंतर्गत यथा परिभाषित मैनुअल स्केवेंजर हैं।
ख) चर्मकार और फ्लेयर;
ग) कूड़ा उठाने वाले
घ) वे व्यक्ति जो मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम, 2013 की धारा 2 (झ) (घ) में यथा परिभाषित जोखिमपूर्ण सफाई में संलग्न हैं।

3. अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ बनाया जा सके।

4. अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

एससीएसपी के लिए एससीए की योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो वर्ष 1980 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास की परिवारोन्मुखी परियोजनाओं पर जोर देने के उद्देश्य से प्रारंभ हुई। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के योजक के रूप में अनुदान दिया जाता है।

5. बालक-बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

इस योजना के अंतर्गत नए छात्रावास भवनों का निर्माण करने, मौजूदा छात्रावास सुविधाओं में विस्तार करने और निर्मित छात्रावासों की आवधिक मरम्मत एवं अनुरक्षण करने के लिए केंद्रीय सहायता हेतु राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केंद्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान पात्र हैं। इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों; उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है।

6. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

अनुसूचित जाति जनसंख्या के कल्याणार्थ क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाने के लिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का कार्यान्वयन, 2009-10 से 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले गांवों का एकीकृत विकास करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

7. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कक्षा 12 के बाद अध्ययन करने के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करके इनमें गुणवत्तामूलक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है ।

8. अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े एवं वंचित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को गुणात्मक कोचिंग प्रदान करना है ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं मे भाग लेने तथा सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी पाने के लिए उनको सफल बनाया जा सके।

9. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

इस योजना का उद्देश्य, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी में एमफिल, पीएचडी की उच्चतर पढ़ाई पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में फैलोशिप प्रदान करना है।

10. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति का आशय, चुने हुए अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों एवं पीएचडी कार्यक्रमों में उच्चतर अध्ययन करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

11. अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए)

यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है; नामतः अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए), जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के लाभार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के योजक के रूप में अनुदान दिया जाता है।

12. अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एवं अन्य संगठनों को सहायता अनुदान संबंधी योजना

मंत्रालय द्वारा कोई केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है तथा सहायता अनुदान गैर-आवासीय स्कूलों, आवासीय स्कूलों और छात्रावासों का संचालन करने हेतु अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एवं अन्य संगठनों को प्रदान किया जाता है।

13. अनुसूचित जाति विकास निगमों को (एससीडीसी) को सहायता संबंधी केंद्रीय प्रायोजित योजनाः

एससीडीसी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु धनराशि एकत्र करता है और वित्तीय संस्थानों से ऋण सृजन करने, मार्जिन-मनी ऋण के द्वारा मिसिंग इनपुट प्रदान करने तथा लक्षित-समूह को सब्सिडी देने के लिए संवर्धकों तथा कैटालिस्टों के रूप में काम करता है।

14. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन

सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 (जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत समाप्त अश्पृस्यता से उत्पन्न दिव्यांगता के लिए सजा निर्धारित की गई है) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराध करने से रोकने संबंधी अधिनियम, जिसमें ऐसे अपराध के लिए विशेष न्यायालयों में विचारण करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत देने और उनका पुनर्वास करने की व्यवस्था की गई है) का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इन दो अधिनियमों की प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए, पीसीआर अधिनियम एवं पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत उनको उचित केंद्रीय सहायता दी जाती है, जो मुख्यतः प्रवर्तन एवं न्यायायिक तंत्र को मजबूत करने, अत्याचार पीड़ितों को राहत देने एवं उनका पुनर्वास करने, उन अंतरजातीय मामलों में प्रोत्साहन देने जिनमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का हो और जागरुकता पैदा करने के लिए होती है।

ख. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की योजनाएं

1. ओबीसी के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृतिः

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक-पूर्व स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रेरित करना है। अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे छात्रों को छात्रवृतियां प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 2,50,000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है।

2. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृतिः

इस योजना का उद्देश्य पीएचडी डिग्रियों सहित मैट्रिकोत्तर/माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनमें उच्चतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। ये छात्रवृतियां छात्रों को मान्यताप्राप्त संस्थानों में अध्ययन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिससे आवेदक संबंध रखता है।

3. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः

2014-15 से राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले ईबीसी छात्रों को वितीय सहायता प्रदान करना है। पात्रता के लिए माता-पिता/अभिभावक की आय सीमा 1.00 लाख रुपए वार्षिक (स्व-आय सहित, यदि नियोजित है) है।

4. ओबीसी/ईबीसी के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर डॉ. अंबेडकर ब्याज सब्सिडी योजनाः

यह योजना वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। इसे 2017-18 में संशोधित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ओबीसी और ईबीसी के मेधावी छात्रों को ब्याज में सब्सिडी प्रदान करना है ताकि उन्हें विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें तथा उनकी रोजगारपरकता को बढ़ाया जा सके। इस योजना के तहत पात्र होने के ओबीसी और ईबीसी के लिए निर्धारित क्रीमी लेयर की वर्तमान सीमा जो 2.50 लाख प्रतिवर्ष के अंतर्गत आना चाहिए। प्रति वर्ष 50% परिव्यय बालिकाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। छात्र ने विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी. स्तर के अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो। उसने इस प्रयोजनार्थ भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की शिक्षा ऋण योजना के तहत अनुसूचित बैंक से तहत ऋण प्राप्त किया हो।

इस योजना के तहत आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के तहत यथा निर्धारित स्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि के साथ नौकरी प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष अथवा 6 माह जो भी पहले हो) के लिए आईबीए से शिक्षा ऋण प्राप्त करने वाले छात्र द्वारा दिए जाने वाले ब्याज का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के अनुसार स्थगन अवधि के समाप्त होने के पश्चात् बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान छात्र द्वारा किया जाएगा। स्थगन अवधि के बाद उम्मीदवार को मूल किस्त तथा ब्याज दोनों अदा करने होंगे। इस योजना के अंतर्गत कैनरा बैंक को नोडल बैंक के रूप में नामित किया गया है।

5. ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिपः

इस योजना का लक्ष्य ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं में एम.फिल और पीएच.डी. जैसी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा डिग्री प्राप्त करने में समर्थ बनाना है।

इस योजना को अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को वर्ष 2014-15 से प्रति वर्ष कुल 300 कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप (जेआरएफ) तथा 2015-16 के दौरान 600 वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए यूजीसी नोडल एजेंसी है तथा यह समुचित तारीख को मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से इस योजना को अधिसूचित करती है। यह योजना यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है। यह फेलोशिप एम.फिल और पीएच.डी. करने वाले अनुसंधान छात्रों को प्रदान की जाती है। जेआरएफ स्तर के लिए फेलोशिप की दर 25,000/- रुपए प्रति माह तथा एसआरएफ स्तर के लिए यह 28,000/- रुपए प्रति माह है।

6. विमुक्त, घुमन्तू और अर्ध-घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी) के लिए योजनाएं:

यह केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जो 2014-15 से उन डीएनटी छात्रों के कल्याण के लिए शुरू की गई है जो एससी, एसटी या ओबीसी के तहत कवर नहीं होते हैं। पात्रता के लिए आय की उच्चतम सीमा प्रति वर्ष 2 लाख रुपए है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। इसमें होने वाले व्यय की हिस्सेदारी केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है। योजना के अंतर्गत दरें निम्नानुसार हैं :-

i. **डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति -**
कक्षा I से कक्षा VIII के लिए दर 100 रुपए प्रति छात्र प्रतिमाह है तथा कक्षा IX और X के लिए यह 150 रुपए प्रति छात्र प्रति माह है। यह छात्रवृति एक वर्ष में 10 माह के लिए प्रदान की जाती है।

ii. **डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति -**
विभिन्न मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों के तहत दरें छात्रावास में रहने वालों के लिए 1200 रुपए प्रति माह तथा 380 रुपए प्रति माह की रेंज में है। दिवा छात्रों के लिए यह 550 रुपए से 230 रुपए प्रति माह की रेंज में हैं।

7. ओबीसी बालकों तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माणः

अन्य पिछड़ा वर्ग बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की योजना 2017-18 से संशोधित की गई है । इस योजना का उद्देश्य सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्गों, विशेषरूप से ग्रामीण छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करना है ताकि वे माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। संशोधन के पश्चात् इस योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं :-
विभिन्न क्षेत्रों में प्रति छात्रावास सीट लागत इस प्रकार है:-

क. पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	3.50 लाख रुपए प्रति सीट
ख. हिमालयन क्षेत्र	-	3.25 लाख रुपए प्रति सीट

ग. शेष देश के लिए - 3.00 लाख रुपए प्रति सीट

अथवा संबंधित राज्य सरकार के लिए दरों की अनुसूची के अनुसार, जो भी कम हो।

2017-18 से इस योजना में किए गए संशोधन निम्नानुसार हैं:

- इस योजना के अंतर्गत निजी संस्थानों/एनजीओ को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता बंद कर दी गई है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रस्तावों के लिए निर्माण लागत की 90% राशि केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाती है।
- तीन हिमालयी राज्यों के प्रस्तावों के लिए निर्माण लागत की 90% राशि केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाती है।

8. ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता:

इस योजना का उद्देश्य लक्षित समूह अर्थात ओबीसी/डीएनटी/ईबीसी आदि की शैक्षणिक और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को शामिल करना है ताकि उन्हें अपने स्वयं के आय-सृजक कार्यकलापों को शुरू करने या किसी एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र में सवेतन रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए उनके कौशल को अपग्रेड किया जा सके। भारत सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुमोदित व्यय की 90% लागत वहन करती है। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानदंडों के अनुरूप विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस योजना को वर्ष 2017-18 में संशोधित किया गया है। इसके अलावा, इस योजना को 2014-15 से पूरी तरह ऑन-लाइन बना दिया गया है।

9. ओबीसी के लिए उद्यम पूंजी निधि आरंभ करना :

इस विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 से तत्कालीन अनुसूचित जातियों के लिये उद्यम पूंजी निधि योजना में पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि के नए घटक शामिल किए गए है। योजना को आईएफसीआई वैंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। निधियों के पुनर्विनियोजन के बाद 10 करोड़ की धनराशि वर्ष 2017-18 के दौरान निधि के पहले वित्तीय भाग के रूप में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि की योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए उद्यम पूंजी निधि को जारी की गई थी।

योजना का उद्देश्य: "उद्यमिता" उद्यमियों के प्रबंध कारोबार से संबन्धित है, जो नवप्रवर्तन और विकास प्रद्योगिकी के संबंध में उन्मुखी होते है। ऊपर उल्लिखित धनराशि का आशय पिछड़े वर्गों से संबन्धित उन उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है जो समाज के लिए विकास तथा प्रतिष्ठा का निर्माण करेंगे और उसी समय में लाभप्रद कारोबार का उन्नयन करेंगे।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 16.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3747 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क. अनुसूचित जाति (एससी) के लिए योजनाएं

1. कक्षा IX एवं X में अध्ययनरत एससी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि	आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि	आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि
1	आन्ध्र प्रदेश		1798.74		0		0.00
2	असम		0		0		0
3	बिहार		0		0		0
4	चंडीगढ़		46.75		18.98		0
5	छत्तीसगढ़		2496.29		0		0
6	दादर एवं नागर हवेली		0		0		0
7	दमन एवं दीव		0		2.68		0
8	दिल्ली		0		2.36		0
9	गोवा		0		0		0
10	गुजरात		2100.12		0		0
11	हरियाणा		0		1500		0
12	हिमाचल प्रदेश		363.8		143.01		0
13	जम्मू एवं कश्मीर		129.83		0		0
14	झारखंड		0		0		1634
15	कर्नाटक		5819.59		0		0
16	केरल		1654.25		0		0
17	मध्य प्रदेश		13352.88		0		0
18	महाराष्ट्र		0		0		0
19	मणिपुर		0		38.92		0
20	मेघालय		0		0		0
21	ओडिशा		3140.88		1849.79		996
22	पंजाब		2821.02		1843		0
23	राजस्थान		2101.16		0		3075
24	सिक्किम		0		5.74		0
25	तमिलनाडु		7382.39		0		0
26	त्रिपुरा		205.48		55.34		259
27	उत्तर प्रदेश		0		0		2706
28	उत्तराखंड		0		325.53		0
29	पश्चिम बंगाल		7201.58		300.12		2870
30	पुडुचेरी	कुल	0	कुल	196.53	कुल	0
31	तेलंगाना	51000.00	0	5000.00	0	10945.00	0
	कुल	51000.00	50614.76	5000.00	6282.00	10945.00	11540.00

योजना के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है और निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त पात्र मांगों के आधार पर राज्यों को जारी की जाती है।

2. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि	आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि	आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि
1	आन्ध्र प्रदेश	282070.00	14398	334799.00	31742.54	600000.00	9000
2	असम		1690		0		1500
3	बिहार		4081		0		0
4	चंडीगढ़		0		145.97		797
5	छत्तीसगढ़		190		3902.02		323
6	दमन एवं दीव		0		0		0
7	दिल्ली		473.76		0		702
8	गोवा		0		14.99		0
9	गुजरात		5244		14339.54		18055
10	हरियाणा		10735		0		5809
11	हिमाचल प्रदेश		2400		7425		5325
12	जम्मू और कश्मीर		202		1362.76		0
13	झारखंड		2071		892.95		1723
14	कर्नाटक		3300		39546.98		2918
15	केरल		4267.2		8391		0
16	मध्य प्रदेश		3308		23042.54		0
17	महाराष्ट्र		10669		50497.96		143392
18	मणिपुर		583.31		750.56		754
19	मेघालय		0		0		0
20	ओडिशा		19879.8		4747.56		20891
21	पुडुचेरी		0		0		0
22	पंजाब		28008.4		11573.21		63131
23	राजस्थान		20056		32922.79		7768
24	सिक्किम		255.5		0		104
25	तमिलनाडु		74324		43448.24		140738
26	तेलंगाना		33166		14024.24		0
27	त्रिपुरा		1904.68		1991.84		2597
28	उत्तर प्रदेश		27000		25420.46		167288
29	उत्तराखंड		7301		3969		0
30	पश्चिम बंगाल		4369		21256.91		0
	कुल	**282070.00**	**279876.7**	**334799.00**	**341409.06**	**600000.00**	**592815.00**

योजना के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है और निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त पात्र मांगों के आधार पर राज्यों को जारी की जाती है।

3. **सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना**

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
		आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि	आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि	आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी निधि
1	आन्ध्र प्रदेश	100.00	0	270.00	0	400.00	0
2	असम		0		0		0
3	बिहार		0		0		0
4	छत्तीसगढ़		0		0		0
5	दिल्ली		0		0		0
6	गोवा		0		0		0
7	गुजरात		0		0		0
8	हरियाणा		0		0		0
9	हिमाचल प्रदेश		0		35.07		10.16
10	जम्मू और कश्मीर		0		0		0
11	झारखंड		0		0		0
12	कर्नाटक		0		0		0
13	केरल		0		0		0
14	मध्य प्रदेश		0		0		0
15	महाराष्ट्र		170		0		298
16	मिजोरम		18.17		0		0
17	ओडिशा		0		0		0
18	पॉंडिचेरी		0		0		0
19	पंजाब		0		0		0
20	राजस्थान		0		0		0
21	सिक्किम		0		0		3.8
22	तमिलनाडु		0		0		0
23	त्रिपुरा		0		0		0
24	उत्तर प्रदेश		0		0		0
25	उत्तराखंड		0		0		0
26	पश्चिम बंगाल		0		0		0
	कुल		**188.17**		**35.07**		**311.96**
योजना के अंतर्गत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है और निधियां राज्य सरकारों से प्राप्त पात्र मांगों के आधार पर राज्यों को जारी की जाती है।							

4. अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी को एससीए)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		सैद्धांतिक आवंटन	उपयोग (भारत सरकार द्वारा जारी	सैद्धांतिक आवंटन	उपयोग (भारत सरकार द्वारा जारी	सैद्धांतिक आवंटन	उपयोग (भारत सरकार द्वारा जारी
1	आन्ध्र प्रदेश	2824.96	2824.96	3377.00	3377.00	4184.43	5253.17
2	असम	615.8	607.93	1185.00	1413.00	1251.24	0.00
3	बिहार	8214.66	3886.91	6622.00	0.00	12957.35	600.00
4	छत्तीसगढ़	1699.20	1699.20	1310.00	6807.00	1350.73	2148.00
5	गुजरात	1756.05	1756.05	1630.00	0.00	1493.75	0.00
6	गोवा	5.04	0.00	8.00	0.00	4.21	0.00
7	हरियाणा	1752.26	1752.26	2044.00	1117.00	1964.29	1534.00
8	हिमाचल प्रदेश	607.95	607.95	694.00	1300.00	961.82	962.00
9	जम्मू और कश्मीर	307.48	307.48	367.00	407.00	371.47	371.00
10	झारखंड	1099.54	1099.54	1591.00	845.00	1591.07	2243.00
11	कर्नाटक	3197.28	3197.29	4189.00	8189.00	6563.86	6355.44
12	केरल	1049.55	550.73	1217.00	1452.00	1136.55	1137.00
13	मध्य प्रदेश	7880.06	7880.06	4532.00	4759.00	5052.08	9178.00
14	महाराष्ट्र	4234.14	4234.14	5304.00	0.00	5316.38	0.00
15	मणिपुर	30.81	26.5	52.00	0.00	80.81	90.00
16	ओडिशा	2404.72	2404.72	2870.00	5070.00	3446.34	5267.00
17	पंजाब	5239.94	5239.94	3541.00	0.00	3811.15	0.00
18	राजस्थान	4289.57	1441.22	4883.00	5683.00	5632.23	6498.00
19	सिक्किम	47.77	47.76	15.00	150.00	11.45	165.00
20	तमिलनाडु	4971.17	17846.23	5772.00	5772.00	6397.72	7407.47
21	तेलंगाना	1187.79	3687.79	2168.00	4168.00	2472.03	3287.00
22	त्रिपुरा	905.62	905.62	348.00	2348.00	656.5	1470.00
23	उत्तर प्रदेश	16448.92	9201.4	16544.00	11701.00	18637.72	25263.14
24	उत्तराखंड	443.28	0.00	757.00	0.00	478.09	0.00
25	पश्चिम बंगाल	8386.44	8386.44	8580.00	8580.00	13676.73	10448.78
26	चंडीगढ़	200.00	200	200.00	47.00	250	47.00
27	दिल्ली	139.21	0.00	187.00	0.00	234.36	0.00
28	पुडुचेरी	60.79	0.00	13.00	0.00	15.64	0.00
	सकल कुल	**80000.00**	**79792.12**	**80000.00**	**73185.00**	**100000.00**	**89725.00**

5. बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य को जारी की गई निधि	विगत तीन वर्षों के दौरान जारी उपयोग की गई निधि
		व्यय (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)		
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	126	126.00	0.00
2	असम	0.00	718.44	622.0232	1340.46	0.00
3	हरियाणा	244.17	404.89	0.00	649.06	244.17
4	जम्मू कश्मीर	0.00	160.41	0.00	160.41	84
5	कर्नाटक	0.00	0.00	150	150	0.00
6	केरल	0.00	300	0.00	300	0.00
7	मध्य प्रदेश	352.34	3547.66	0.00	3900	200
8	महाराष्ट्र	90.00	103.05	101.25	294.30	0.00
9	मणिपुर	271.55	628.37	149	1048.92	899.92
10	ओडिशा	653.73	283.73	0.00	937.46	53.73
11	पंजाब	571.78	273.88	399	1244.66	90.9
12	राजस्थान	2.50	81.46	0.00	83.96	2.5
13	सिक्किम	0.00	0.00	175	175.00	0.00
14	तमिलनाडु	0.00	300	0.00	300.00	0.00
15	तेलंगाना	0.00	0.00	288.8	288.80	0.00
16	त्रिपुरा	157.50	157.5	0.00	315.00	57.5
17	पश्चिम बंगाल	666.41	41.25	0.00	707.66	666.41
18	पुडुचेरी	0.00	0.00	300	300.00	0.00
	कुल	**3009.98**	**7000.64**	**2311.073**	**12321.69**	**2299.13**

6. **बालकों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य को जारी की गई निधि	विगत तीन वर्षों के दौरान जारी उपयोग की गई निधि
		व्यय (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)		
1	असम	0.00	0	324.18	324.18	0
2	हिमाचल प्रदेश	60	0	0	60	0
3	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	40.62	40.62	0
4	झारखंड	0.00	0	0	0.00	0
5	कर्नाटक	0.00	0	135	135.00	0
6	मध्य प्रदेश	240.00	240	412.5	892.50	480
7	महाराष्ट्र	65.79	67.5	0	133.29	65.79
8	मणिपुर	0	0	118	118.00	0
9	ओडिशा	50	0	188.4	238.40	132.82
10	पंजाब	71.71	26.84	23.4	121.95	0
11	राजस्थान	2.5	45	0	47.50	2.5
12	तमिलनाडु	0	110.66	0	110.66	0
13	पुडुचेरी	0	0	102.5	102.50	0
	कुल	**490.00**	**490**	**1344.6**	**2324.60**	**681.11**

7. बालिकाओं के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

(राज्य सरकार के अतिरिक्त संगठनों को जारी की गई निधि और उपयोग की गई निधि)

(लाख रुपये में)

राज्य	एनजीओ का नाम	विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य को जारी की गई निधि	विगत तीन वर्षों के दौरान जारी उपयोग की गई निधि
असम	भारत सेवाश्रम आश्रम, असम	75.81	75.81
हरियाणा	महाबीर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बुलाना, हिसार रोड रन बाय महाबीर एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी, अंबाला	135.00	0
	महाबीर इंजीनियरिंग कॉलेज, बुलाना, हिसार रोड महाबीर एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी, अंबाला	255.00	0
	ब्रिलिलेंट एजुकेशन ट्रस्ट यमुनानगर	259.06	124.17
महाराष्ट्र	श्री शैन शिक्षण संस्था, नागपुर	103.05	0
	महमुदाशिक्षण और महिला ग्रामीण विकास बहुद्देश्यसंस्था, गोलछा मार्ग, सदर बाजार, नागपुर	90.00	0
मणिपुर	रिवाइवल फाउंडेशन, वांगजिंग, थौबल	2.50	0
	गरीब और मजदूरों के विकास के लिए परिषद, लिलोंग	179.74	179.74
	वालंटियर्स यूनियन फॉर रूरल फॉरवर्ड एंड इंटीग्रिटी (वीयूआरएफआई) वांगजिंग, थौबल जिला	154.74	154.74
	सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इंफाल	209.06	209.06
	एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन (आईआरडीईओ)	2.50	0
ओडिशा	राष्ट्रीय ग्रामांचल सेवा समिति, गुडूनाली, ढेंकनाल, ओडिशा	187.46	53.73
पंजाब	अग्रवाल स्कूल ऑफ नर्सिंग रन फॉर पैरामेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जिला फिरोजपुर	90.90	90.90
	ज्ञानीसरदारा सिंह गिल फाउंडेशन, मोगा, पंजाब	49.63	0
राजस्थान	मेवाड़ एजुकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़	81.46	0
त्रिपुरा	बोरोखोडा थोंग सोसाइटी, रायओ, जिला: उदयपुर, गोमती	215.00	57.50
	कुल	2090.91	945.65

8. बालकों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

(राज्य सरकार के अतिरिक्त संगठनों को जारी की गई निधि और उपयोग की गई निधि)

(लाख रुपये में)

राज्य	एनजीओ का नाम	विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य को जारी की गई निधि	विगत तीन वर्षों के दौरान जारी उपयोग की गई निधि
हिमाचल प्रदेश	मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट, काला-अंब, जिला: सिरमौर	60.00	0
महाराष्ट्र	समकी माता महिला मंडल कवलखेड़ तालुक उदगीर	133.29	65.79
पंजाब	दयानंद मठ, दीनानगर, जिला: गुरदासपुर	23.40	0
	ज्ञानी सारदा गिल फाउंडेशन, मोगा	31.05	0
राजस्थान	मेवाड़ एजुकेशन सोसायटी, चित्तौड़गढ़	45.00	0
कुल		292.74	65.79

9. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	कुल संस्वीकृत निधि	उपयोग की गई निधि
1	आन्ध्र प्रदेश	77.0	0.0	1069.0	1146.0	0
2	असम	1575.0	0.0	2850.2	4425.2	1000
3	बिहार	0.0	0.0	3092.8	3092.8	0
4	छत्तीसगढ़	2075.0	375.0	1400.2	3850.2	2075
5	गुजरात	0.0	0.0	260.0	260.0	0
6	हरियाणा	132.0	0.0	1534.0	1666.0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	936.0	936.0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	738.4	738.4	0
9	झारखंड	0.0	0.0	1569.0	1569.0	0
10	कर्नाटक	211.0	0.0	2733.0	2944.0	0
11	केरल	0.0	0.0	10.4	10.4	0
12	मध्य प्रदेश	315.0	1050.0	4126.0	5491.0	831
13	महाराष्ट्र	0.0	0.0	1507.6	1507.6	0
14	मणिपुर	0.0	0.0	124.8	124.8	0
15	मेघालय	0.0	0.0	41.6	41.6	0
16	ओडिशा	1575.0	0.0	2818.0	4393.0	0
17	पुडुचेरी	0.0	0.0	104.0	104.0	0
18	पंजाब	132.0	1610.0	1674.0	3416.0	0
19	राजस्थान	0.0	0.0	2995.0	2995.0	0
20	तमिलनाडु	0.0	0.0	2819.0	2819.0	0
21	तेलंगाना	66.0	0.0	1433.0	1499.0	0
22	त्रिपुरा	0.0	0.0	322.0	322.0	0
23	उत्तर प्रदेश	110.0	865.0	7690.0	8665.0	0
24	उत्तराखंड	0.0	0.0	1289.6	1289.6	0
	कुल	**6268.0**	**3900.0**	**43137.6**	**53305.6**	**3906.0**

10. एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

(करोड़ रुपये में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आवंटित निधि	21.00	35.00	35.00	40.50
उपयोगिता (जारी)	28.50	33.94	25.48	0.3452

चूंकि यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है अतः राज्यों को धनराशि जारी नहीं की जाती है।

11. एससी और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए नि:शुल्क कोचिंग

(करोड़ रुपये में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आवंटित निधि	25.00	25.00	30.00	30.00
उपयोगिता (जारी)	1.50	19.84	14.87	1.03

चूंकि यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है अतः राज्यों को धनराशि जारी नहीं की जाती है।

12. एससी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप

(करोड़ रुपये में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आवंटित निधि	200.00	230.00	300.00	260.00
उपयोगिता (जारी)	196.00	225.40	240.00	86.67

चूंकि यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है अतः राज्यों को धनराशि जारी नहीं की जाती है।

13. राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आवंटित निधि	15.00	15.00	15.00	20.00
उपयोगिता	14.02	3.13	5.97	0

चूंकि यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है अतः राज्यों को धनराशि जारी नहीं की जाती है।

***

14. अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19
		जारी और उपयोग की गई निधि	जारी और उपयोग की गई निधि	जारी और उपयोग की गई निधि
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2	असम	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0.00	0.00
4	चंडीगढ़	0.00	100.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	100.00
6	दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
7	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
8	गोवा	0.00	0.00	0.00
9	गुजरात	0.00	200.00	0.00
10	हरियाणा	96.00	0.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	0.00	192.00	0.00
12	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
13	झारखंड	0.00	0.00	0.00
14	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
15	केरल	700.00	0.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	0.00	200.00	700.00
17	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
18	ओडिशा	0.00	0.00	0.00
19	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00
20	पंजाब	600.00	500.00	0.00
21	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
22	सिक्किम	0.00	1.00	99.00
23	तमिलनाडु	0.00	200.00	0.00
24	त्रिपुरा	40.00	39.00	58.98
25	उत्तर प्रदेश	0.00	318.00	42.02
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	564.00	250.00	1000.00
	कुल	2000.00	2000.00	2000.00

15 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए योजना

केन्द्रीय सहायता: (लाख रुपये में)							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1.	आन्ध्र प्रदेश	1892.73	1663.475	2609.010	1953.340	3700.84	एनए
2.	असम	0.00	0.00	6.000	एनए	0.00	एनए
3.	बिहार	728.01	839.74	1506.670	1220.00	1220.00	एनए
4.	छत्तीसगढ़	274.97	350.15	507.120	566.470	0.00	एनए
5.	गोवा	13.80	6.25	7.45	10.00	40.00	एनए
6.	गुजरात	1438.41	1650.93	3010.755	1838.710	1072.24	एनए
7.	हरियाणा	458.55	372.745	753.625	589.919	1041.419	1164.61
8.	हिमाचल प्रदेश	281.74	97.985	42.485	128.265	0.00	एनए
9.	झारखंड	84.53	100.947	183.702	166.565	316.565	एनए
10.	कर्नाटक	2933.46	1992.24	2864.770	2636.750	6020.75	एनए
11.	केरल	0.00	498.26	1105.460	866.075	0.00	एनए
12.	मध्य प्रदेश	4207.00	4321.87	6819.965	5544.735	7224.67	एनए
13.	महाराष्ट्र	1600.00	1430.695	2547.470	2957.75	416.553	एनए
14.	ओडिशा	1050.25	956.48	1124.435	894.065	1356.25	एनए
15.	पंजाब	265.00	210.48	100.00	एनए	0.00	एनए
16.	राजस्थान	1400.00	1333.425	3070..695	2445.26	1820.26	एनए
17.	सिक्किम	17.00	17.00	21.00	21.00	25.00	एनए
18.	तमिलनाडु	1724.77	1641.73	1921.235	1822.345	2525.015	एनए
19.	तेलंगाना	1147.86	1296.03	1373.445	1080.555	2306.275	एनए
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	14.750	6.46	22.957	एनए
21.	उत्तर प्रदेश	2214.90	2308.605	5100.4705	7558.695	10813.115	एनए
22.	उत्तराखंड	13.02	3.70	76.4875	149.00	144.28	एनए
23.	पश्चिम बंगाल	300.00	300.03	409.00	190.041	256.041	317.61
24.	चंडीगढ़	10.00	10.00	10.00	10.000	50.00	50.00
25.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एनए
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	25.00	4.15	0.00	36.575	48.00	एनए
27.	पुडुचेरी	175.00	135.87	400.00	157.08	152.00	एनए
	कुल	22256.00	21542.787	35586.00	32849.655	40572.23	1532.22

टिप्पणी: एनए= उपलब्ध नहीं।

15. अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को गैर-आवासीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों को चलाने के लिए इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19
1	आन्ध्र प्रदेश	27.41	135.77	118.90
2.	बिहार	0	0	0
3	गुजरात	25.45	32.18	0
4	हरियाणा	43.22	0.67	3.88
5	हिमाचल प्रदेश	6.58	6.51	11.76
6	जम्मू और कश्मीर	33.41	9.00	11.75
7	झारखंड	0.00	0	0
8	कर्नाटक	562.67	224.7	164.70
9	केरल	0	0	0
10	मध्य प्रदेश	125.40	40.23	49.78
11	महाराष्ट्र	1463.48	1119.17	678.13
12	ओडिशा	513.66	363.50	18.10
13	राजस्थान	709.57	31.19	83.35
14	तमिलनाडु	5.74	29.96	54.35
15	उत्तर प्रदेश	918.36	290.58	312.40
16	उत्तराखंड	0.00	0	31.64
17	पश्चिम बंगाल	28.75	80.35	39.41
18	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	191.36	44.81	147
19	असम	132.84	153.73	42.47
20	मणिपुर	150.47	27.93	64.59
21	**तेलंगाना**	69.76	59.72	25.56
22	**एनएसकेएफडीसी**	800.00	1400.00	0
23	**एनएसएफडीसी**	1198.0	2950.00	1750
	सकल कुल	**6999.55**	**7000.00**	**3607.77**

ख. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए योजनाएं

1. ओबीसी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		निधि आवंटन	जारी निधि	निधि आवंटन	जारी निधि	निधि आवंटन	जारी निधि
1	आन्ध्र प्रदेश	536.00	681.87	536.00	402.00	890.00	890.00
2	बिहार	1134.00	850.50	1134.00	1782.00	1875.00	0.00
3	छत्तीसगढ़	279.00	0.00	279.00	0.00	460.00	460.00
4	गोवा	16.00	20.46	16.00	173.00	30.00	30.00
5	गुजरात	660.00	765.88	660.00	942.00	1090.00	1090.00
6	हरियाणा	277.00	342.82	277.00	126.13	460.00	190.00
7	हिमाचल प्रदेश	75.00	0.00	75.00	0.00	125.00	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	137.00	75.74	137.00	0.00	225.00	0.00
9	झारखंड	360.00	458.04	360.00	514.00	595.00	595.00
10	कर्नाटक	667.00	848.52	667.00	952.00	1105.00	1105.00
11	केरल	365.00	464.23	365.00	521.00	605.00	453.75
12	मध्य प्रदेश	793.00	1008.69	793.00	0.00	1310.00	0.00
13	महाराष्ट्र	1228.00	1217.92	1228.00	921.00	2030.00	0.00
14	ओडिशा	458.00	426.75	458.00	395.00	760.00	482.67
15	पंजाब	303.00	385.29	303.00	0.00	500.00	198.00
16	राजस्थान	749.00	575.32	749.00	1247.00	1240.00	930.00
17	तमिलनाडु	787.00	977.49	787.00	590.25	1305.00	0.00
18	तेलंगाना	389.00	0.00	389.00	0.00	640.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	2180.00	2772.99	2180.00	3112.00	3605.00	3605.00
20	उत्तराखंड	110.00	0.00	110.00	0.00	180.00	0.00
21	पश्चिम बंगाल	997.00	747.75	997.00	879.84	1650.00	1650.00
22	असम	1228.00	58.93	1228.00	0.00	1900.00	0.00
23	मणिपुर	106.00	0.00	106.00	0.00	160.00	0.00
24	सिक्किम	24.00	12.60	24.00	2.50	40.00	4.49
25	त्रिपुरा	142.00	142.00	142.00	142.00	220.00	300.00
26	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11.00	0.00	11.00	36.00	10.00	9.23
27	चंडीगढ़	61.00	1.97	61.00	2.98	60.00	10.05
28	दादर एवं नागर हवेली	17.00	0.00	17.00	1.02	20.00	0.90
29	दमन एवं दीव	11.00	0.00	11.00	60.00	10.00	79.82
30	दिल्ली	93.00	54.76	93.00	0.00	90.00	58.75
31	पुडुचेरी	7.00	23.00	7.00	21.00	10.00	41.25
	कुल	**14200.00**	**12913.52**	**14200.00**	**12822.72**	**23200.00**	**12183.91**

2. ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		निधि आवंटन	जारी निधि	निधि आवंटन	जारी निधि	निधि आवंटन	जारी निधि
1	आन्ध्र प्रदेश	3404.00	3709.10	3404.00	4399.11	4183.00	4121.81
2	बिहार	7196.00	5397.00	7196.00	0.00	8843.00	8842.71
3	छत्तीसगढ़	1766.00	0.00	1766.00	2282.26	2172.00	2172.00
4	गोवा	104.00	113.32	104.00	132.53	128.00	297.05
5	गुजरात	4187.00	4562.28	4187.00	5335.74	5145.00	5145.00
6	हरियाणा	1761.00	0.00	1761.00	0.00	2164.00	1235.46
7	हिमाचल प्रदेश	478.00	520.84	478.00	609.15	588.00	588.00
8	जम्मू और कश्मीर	867.00	944.71	867.00	650.25	1065.00	801.10
9	झारखंड	2288.00	2493.08	2288.00	2956.86	2811.00	2811.00
10	कर्नाटक	4236.00	4615.67	4236.00	5474.32	5205.00	5205.00
11	केरल	2315.00	2327.19	2315.00	2950.14	2845.00	2845.00
12	मध्य प्रदेश	5033.00	5484.11	5033.00	6504.32	6185.00	6185.00
13	महाराष्ट्र	7792.00	8490.40	7792.00	5844.00	9575.00	9575.00
14	ओडिशा	2905.00	2855.75	2905.00	2178.75	3570.00	3534.81
15	पंजाब	1920.00	2092.10	1920.00	1440.00	2360.00	0.00
16	राजस्थान	4756.00	5182.28	4756.00	5663.47	5844.00	5782.49
17	तमिलनाडु	4998.00	5445.97	4998.00	4550.00	6142.00	6142.00
18	तेलंगाना	2468.00	2689.21	2468.00	1851.00	3033.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	13837.00	15077.22	13837.00	17882.03	17004.00	20450.66
20	उत्तराखंड	700.00	737.74	700.00	525.00	860.00	269.46
21	पश्चिम बंगाल	6329.00	6602.03	6329.00	8179.08	7778.00	6702.51
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	11.00	0.00	11.00	14.66	11.00	11.00
23	दादर एवं नागर हवेली	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
24	दमन एवं दीव	11.00	7.13	11.00	0.00	11.00	28.00
25	चंडीगढ़	61.00	92.87	61.00	85.34	61.00	61.00
26	दिल्ली	187.00	187.00	187.00	100.00	187.00	154.00
27	पुडुचेरी	13.00	12.99	13.00	31.99	13.00	32.00
28	असम	7255.00	5026.84	7255.00	0.00	9991.00	3634.92
29	मणिपुर	628.00	471.00	628.00	622.37	864.00	653.31
30	त्रिपुरा	837.00	1950.00	837.00	2150.00	1153.00	2450.00
31	सिक्किम	140.00	500.00	140.00	549.98	192.00	316.10
कुल:		**88500.00**	**87587.83**	**88500.00**	**82962.35**	**110000.00**	**100046.39**

3. ओबीसी बालक एवं बालिका के लिए छात्रावास का निर्माण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि
1	आन्ध्र प्रदेश		405.00		0.00		0.00
2	बिहार		0.00		0.00		0.00
3	छत्तीसगढ़		0.00		0.00		0.00
4	गोवा		0.00		0.00		0.00
5	गुजरात		0.00		0.00		0.00
6	हरियाणा		0.00		0.00		0.00
7	हिमाचल प्रदेश		0.00		0.00		0.00
8	जम्मू और कश्मीर		502.72		536.64		0.00
9	झारखंड		0.00		0.00		0.00
10	कर्नाटक		0.00		0.00		0.00
11	केरल		0.00		0.00		0.00
12	मध्य प्रदेश		497.69		1434.22		342.23
13	महाराष्ट्र		0.00		0.00		0.00
14	ओडिशा		0.00		0.00		0.00
15	पंजाब		0.00		0.00		0.00
16	राजस्थान	4000.00	0.00	4000.00	0.00	3000.00	0.00
17	तमिलनाडु		0.00		205.39		0.00
18	तेलंगाना		0.00		0.00		0.00
19	उत्तर प्रदेश		140.22		273.75		84.13
20	उत्तराखंड		0.00		0.00		0.00
21	पश्चिम बंगाल		413.40		0.00		259.60
22	अंडमान एवं निकोबार		0.00		0.00		0.00
23	दादर एवं नागर हवेली		0.00		0.00		0.00
24	दमन एवं दीव		0.00		0.00		0.00
25	चंडीगढ़		0.00		0.00		0.00
26	दिल्ली		0.00		0.00		0.00
27	पुडुचेरी		0.00		0.00		0.00
28	असम		0.00		0.00		0.00
29	मणिपुर		675.97		141.75		1197.00
30	त्रिपुरा		0.00		0.00		0.00
31	सिक्किम		315.00		608.00		283.50
32	केन्द्रीय विश्वविद्यालय		1050.00		1050.00		1438.75
	कुल:	**4000.00**	**4000.00**	**4000.00**	**4249.75**	**3000.00**	**3605.21**

4. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि
1	आन्ध्र प्रदेश	1512.00	364.87	1000.00	154.05	2300.00	0.00
2	बिहार		0.00		0.00		0.00
3	गुजरात		0.00		200.00		1306.45
4	हिमाचल प्रदेश		50.74		300.00		200.00
5	जम्मू और कश्मीर		92.92		0.00		244.45
6	केरल		248.04		0.00		0.00
7	ओडिशा		2.05		25.95		0.00
8	राजस्थान		509.07		0.00		0.00
9	उत्तराखंड		74.31		0.00		118.80
10	मणिपुर		0.00		200.00		0.00
11	सिक्किम		91.50		200.00		230.30
12	त्रिपुरा		58.50		0.00		0.00
13	चंडीगढ़		20.00		20.00		0.00
14	गोवा		0.00		0.00		200.00
	कुल	**1512.00**	**1512.00**	**1000.00**	**1100.00**	**2300.00**	**2300.00**

5. **ओबीसी/ईबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना**

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि
1	ओबीसी/ईबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना	300.00	290.15	430.00	1987.00	1000.00	1000.00

टिप्पणी/अभ्युक्ति : इस योजना का कार्यान्वयन केनरा बैंक के माध्यम से किया जाता है जो योजना के अंतर्गत नोडल बैंक है। अतः निधि केनरा बैंक को जारी की जाती है न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।

6. **ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप**

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19	
		आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि	आवंटित निधि	जारी निधि
1	**अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप**	2700.00	2700.00	4000.00	2000.00	3000.00	3000.00

टिप्पणी/अभ्युक्ति : इस योजना का कार्यान्वयन यूजीसी के माध्यम से किया जाता है जो योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी है। अतः निधि यूजीसी को जारी की जाती है न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।